


फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी नाथू विपक्षी के सुलाल
 किस्म मुकद्मा 21229 AB पत्रावली संख्या 10217 सन् _____

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>27/2/25 वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप <u>वारिस कामनी</u> के लिये मौका चाहते हैं। अतः <u>अति</u> अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. <u>15/5/25</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><u>(SDO) मावली</u></p>	
	<p>15/5/25 वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप <u>वारिस कामनी</u> के लिये मौका चाहते हैं। अतः <u>अति</u> अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. <u>17/7/25</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><u>(SDO) मावली</u></p>	
	<p>17/7/25 वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप <u>वारिस कामनी</u> के लिये मौका चाहते हैं। अतः <u>अति</u> अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. <u>18/8/25</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><u>(SDO) मावली</u></p>	
	<p>18/8/25 पत्रावली पेश हुई। अधि. उभयपक्ष उप. अधि. पार्टी द्वारा वारिस कामनी का तबसुर चाहा अति अवसर स्थल: अंत में अंत पर दिया जाकर अधि. पार्टी को जगाह दिया जाता है कि तबसुर रूप से वारिस कामनी करवे। पत्रावली वारिस वारिस कामनी दिनांक 09/9/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><u>(SDO) मावली</u></p>	

09/0/25

पन्नावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी
अनुपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी को बार-बार
आवाजे दिलवाई गई। समय साँय 5:00 PM
हो चुके हैं। अधिवक्ता प्रार्थी अब तक
अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता प्रार्थी
अनुपस्थित रहने पर प्रार्थी का प्रार्थना
पत्र अदम पेंसरी में खारिज किया जाता
है। पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा
हटाई जाती है। पन्नावली कैसच शुमार ठेकर
नम्बर से कम हों।

निर्णय चुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर
(SDO) पन्ना